न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या – 70 / 2013 जिला अलवर

1. कौशल्या पुत्री स्व. श्रीराम, जाति गूर्जर, ग्रम मोराडी, तहसील बानसूर, जिला अलवर ।
2. तीजा पुत्री स्व. श्रीराम , जाति गूर्जर, ग्रम मोराडी, तहसील बानसूर, जिला अलवर ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. गंगाराम कथित पिसरान मु. श्रीराम गूर्जर, जाति गूर्जर, ग्रम मोराडी, तहसील बानसूर, जिला अलवर ।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा अति. जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर दिनांक 24.2.2011

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री अनिल कुमार गुप्ता
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री अशोक कुमार मुदगल

निर्णय

दिनांक –30.11.2017

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अति. जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर के निर्णय दिनांक 24.2.2011 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम मोराडी, तहसील बानसूर, जिला अलवर स्थित आराजी खसरा किता 5 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा हिस्सा 1/12, खसरा किता 2 रकबा 15 बीघा 3 बिस्वा हिस्सा 1/4 , खसरा किता 4 रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा , एवं खसरा नम्बर 332 रकबा 21 बीघा 2 बिस्वा हिस्सा 1/4 का खातेदार श्रीराम पुत्र बोदा गुर्जर था जिसके फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 415 पटवारी हल्का द्वारा खसरा किता 5 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा का रेस्पोंडेन्ट गंगाराम पि. श्रीराम, अपीलान्ट कौशल्या, तीजा पुत्रियॉ श्रीराम एवं अन्य खसरा नम्बरान का गंगाराम के नाम भरा गया जिसे सरपंच ग्रम पंचायत नांगल लाखा द्वारा दिनांक 7.7.2000 को नामांतरकरण वारिसान की जॉच को जाकर आगामी बैठक में पेश होने का अंकन लिया गया । इसके पश्चात् नायब तहसीलदार बानसूर द्वारा दिनांक 10.8.2000 को मुताबिक रिपोर्ट पटवारी, आई.एल.आर. नामांतरकरण स्वीकार किया गया । उक्त नामांतरकरण से व्यथित होकर मृतक खातेदार श्रीराम की पुत्रियॉ कौशल्या व तीजा द्वारा अपील न्यायालय अति. जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर के समक्ष दिनांक 16.7.2010 को मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.2.2011 द्वारा खारिज किये जाने पर अपीलान्ट यह द्वारा द्वितीय अपील दिनांक 5.8.2011 को मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश व प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त कर मृतक श्रीराम की विरासत का इन्तकाल अपीलान्ट के हक में खोले जाने के आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार अपीलान्ट्स के पिता श्रीराम थे जिनकी विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक करने से पूर्व नायब तहसीलदार बानसूर द्वारा अपीलान्ट्स को सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं दिया गया , पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों की जॉच नहीं की तथा न ही मौका निरीक्षण किया गया । उनका कहना था कि पटवारी हल्का द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण ग्रम पंचायत के समक्ष पेश किया था जिस पर ग्रम पंचायत द्वारा वारिसान की जॉच किये जाने का नोट लगाया था, लेकिन नायब तहसीलदार द्वारा वारिसान की जॉच किये बिना ही प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक किया है, जो त्रुटिपूर्ण एवं विधिविरूद्ध है । उनका कहना था कि अपीलान्ट्स के पिता श्रीराम ने रेस्पोंडेन्ट गंगाराम को कभी गोद नहीं लिया था । नायब तहसीलदार ने रेस्पोंडेन्ट गंगाराम को मृतक खातेदार श्रीराम का दत्तक पुत्र मानकर अपीलान्ट के साथ बहिस्से बराबर का नामांतरकरण उसके नाम भी स्वीकार किया है । रेस्पोंडेन्ट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे वह श्रीराम का दत्तक पुत्र साबित होता हो । उनका कहना था कि अपीलान्ट्स ही उनके पिता श्रीराम की विधिक वारिसान है एवं विवादित भूमि पर काबिज काश्त है । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की प्रथम अनुसूची के अनुसार विधिक वारिसान है । उनका कहना था कि अपीलान्ट्स का वाद न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) बानसूर, जिला अलवर द्वारा दिनांक 7.1.2005 को कोर्ट फीस के अभाव में खारिज किया गया था । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरन्दाज करते हुये अपीलाधीन आदेश से अपीलान्ट की अपील खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को न्यायहित में क्षमा कर अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश व प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त किया जावे तथा मृतक श्रीराम की विरासत का इन्तकाल अपीलान्ट्स के नाम तस्दीक करने के आदेश प्रदान किये जावे ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.2.2011 को पारित किया था जिसके खिलाफ अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 5.8.2011 को मियाद बाहर पेश की है तथा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किये हैं वह संतोषजनक कारण नहीं है । अतः प्रथमतः अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज होने योग्य है । उनका कहना था कि मृतक खातेदार श्रीराम द्वारा रेस्पोंडेन्ट गंगाराम को विधिवत गोद लिया था । प्रश्नगत नामांतरकरण पर भी पटवारी हल्का द्वारा श्रीराम का सजरा अंकित किया है जिसमें श्रीराम के तीन वारिस गंगाराम, कौशल्या व तीजा अंकित किये है। अपीलान्ट द्वारा रेस्पोंडेन्ट गंगाराम के हक में किये गये गोदनामा दिनांक 30.12.89 को निरस्त कराने हेतु एक वाद न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) बानसूर के समक्ष पेश किया था जो निर्णय दिनांक 7.1.2005 द्वारा खारिज हो चुका है । उनका कहना था कि अपीलान्ट्स द्वारा रेस्पोंडेन्ट गंगाराम को श्रीराम द्वारा गोद नहीं लिये जाने के कथन के समर्थन में कोई दस्तावेज न तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किये और न ही इस न्यायालय के समक्ष पेश किये । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलान्ट्स की अपील उपरोक्त तथ्यों के आधार पर खारिज की है , जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश व प्रश्नगत नामांतरकरण यथावत रखे जावे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार श्रीराम की विरासत के नामांतरकरण का है पटवारी हल्का द्वारा खसरा किता 5 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा का रेस्पोंडेन्ट गंगाराम पि. श्रीराम, अपीलान्ट कौशल्या, तीजा पुत्रियॅा श्रीराम एवं अन्य खसरा नम्बरान का गंगाराम के नाम भरा गया जिसे नायब तहसीलदार बानसूर द्वारा दिनांक 10.8.2000 को मुताबिक रिपोर्ट पटवारी, आई.एल.आर. स्वीकार किया गया । अपीलान्ट्स कौशल्या व तीजा मृतक खातेदार श्रीराम की पुत्रियॅा होने से मृतक श्रीराम की सम्पूर्ण भूमि का नामांतरकरण अपने नाम कराना चाहती है । प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ अपीलान्ट्स की अपील अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.2.2011 द्वारा यह मानते हुये खारिज की है कि माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) बानसूर के निर्णय दिनांक 7.1.2005 से स्पष्ट होता है कि गोदनामा दिनांक 30.12.89 को निरस्त घोषित किये जाने का अपीलान्ट्स का वाद वादिनी खारिज किया गया । अपीलान्ट्स ने रेस्पोंडेन्ट गंगाराम को मृतक श्रीराम द्वारा गोद नहीं लिये जाने के संबंध में कोई दस्तावेजात पेश नहीं किये । अपीलान्ट्स इस न्यायालय में भी रेस्पोंडेन्ट गंगाराम को मृतक श्रीराम द्वारा गोद नहीं लिये जाने के तथ्य को सिद्ध करने में असफल रहे हैं ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि अपीलाधीन आदेश अति. जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर दिनांक 24.2.2011 उचित एवं विधिसम्यक है तथा हम इसमे हस्तक्षेप किया उचित नहीं समझते हैं । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर